


मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

सूचना

शासनादेश सं. 3/2017/1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 के द्वारा पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन की दृष्टि से निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉबवर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु विकास प्राधिकरणों में एवं आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेन्डरिंग प्लेटफार्म <http://etender.up.nic.in> का प्रयोग करते हुए ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली लागू कराये जाने का निर्णय लिया गया है।


अतः प्राधिकरण में पंजीकृत सभी श्रेणी के ठेकेदारों से यह अपेक्षा की जाती है कि ई-टेन्डरिंग हेतु आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर्स एवं कंपनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

नोट : उक्त के सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु श्री एस.एन. मिश्रा, सहायक अभियन्ता (मो. 09793237000) से सम्पर्क करें।


अधिशायी अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

प्रतिलिपि :

1. मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।
3. श्री शरद, सहा. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


अधिशायी अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।